172

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप- 6) विभाग

क्रमांक:-प.6(43)राज-6/2001/35 जयपुर, दिनांक 4-9-01

अधिसूचना

राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम, संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप- धारा (1) सपठित धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1) एवं अधिसूचना क्रमांक प.5(21)राज-4/80/35 दिनांक 4.9.82 यथा संशोधित के तहत नामान्तकरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियों का प्रयोग ग्राम पंचायतों के स्थान पर समस्त तहसीलदार एवं समस्त नायब तहसीलदार द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किया जायेगा ।

यह अधिसूचना दि0 1.10.2001 से 31.12.2001 तक प्रभावशील रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(एल0 एन0 शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखितको सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. निजी सचिव, मुख्य मंत्री महो /राजस्व मंत्री महोदया
2 निजी सचिव मुख्य सचिव महो/अतिरिक्त मुख्य सचिव एंव विकास आयुक्त महोदय
3. निजी सचिव राजस्व सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव राजस्व
4. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राज0
6. समस्त जिला कलेक्टर, राज0
7. निदेशक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 4-9-01 में प्रकाशनार्थ
8. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
9. राविरा राजस्व मंडल, जयपुर
10. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व उपनिवेशन
11. अतिरिक्त निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर (वित एंव लकखा)
12. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव